

आदेश द्वारा श्री एम.एस. गर्ब्याल, (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश.

“आदेश”

आदेश/क्रमांक/स्था/31/06

/भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2013

वन भूमि व्यपवर्तन के जिन प्रकरणों में भारत सरकार एवं राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृतियाँ प्राप्त होती हैं, वन भूमि हस्तांतरण से पूर्व उन प्रकरणों में इस बात को विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाए कि एन.पी.व्ही. की राशि भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित दरों के आधार पर तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण के प्रकरणों में “मौजूदा प्रचलित मजदूरी की दर पर” तथा पश्चातवर्ती वर्षों हेतु प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए पुनरीक्षित की गयी 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अनुसार सम्पूर्ण राशि पूर्ण रूप से वसूल ली गयी है।

2. यदि किन्हीं प्रकरण विशेष में प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी औपचारिक आदेश जारी होने के पश्चात् में “वन भूमि व्यपवर्तन के दौरान” तत्समय प्रचलित मजदूरी दरों पर नहीं है, तो रोपण योजना का तत्समय के “मौजूदा प्रचलित मजदूरी की दर पर” पुनरीक्षण कर आवेदक संस्था से अंतर की राशि वसूल करने के पश्चात् ही भारत सरकार एवं राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति के अनुसार अधिरोपित शर्तों का पालन करने के पश्चात् ही वन भूमि आवेदक संस्था को नियमानुसार हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाए।

3. वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों, जिनमें पूर्व में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अंतिम आदेश प्राप्त हुए हैं तथा वन भूमि व्यपवर्तित कर दी गयी है, की समीक्षा की जाए। जिन प्रकरणों में अंतिम औपचारिक आदेश के पश्चात् वन भूमि व्यपवर्तन के दौरान “वन भूमि व्यपवर्तन के तत्समय के प्रचलित मजदूरी की दर पर” वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना को पुनरीक्षित कर अंतर की राशि वसूली नहीं की गयी है, उन सभी प्रकरणों में तदनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना को पुनरीक्षित कर अंतर की राशियाँ आवेदक संस्थानों से वसूली जाने की कार्यवाही तत्काल करें तथा प्रकरणवार प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

समस्त संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उपरोक्त आदेश का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कड़ाई से पालन करेंगे।

(एम.एस. गर्ब्याल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ०क्र०/स्था/31/203

/भोपाल, दिनांक:- 11 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि:-

- (01) वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
- (02) समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश।
- (03) समस्त वन मण्डलाधिकारी(क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश।
- (04) श्री ओ.पी.खरे , मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल।
- (05) श्री एन.एस. डुंगरियाल, मुख्य वन संरक्षक (एन.पी.व्ही.) कार्यालय अ.प्र.मु.व.सं, (भू-प्रबंध) भोपाल।
- (06) सहायक वन संरक्षक (कैम्पा) कार्यालय अ.प्र.मु.व.सं, (भू-प्रबंध) भोपाल।
- (07) लेखा अधिकारी (कैम्पा) कार्यालय अ.प्र.मु.व.सं, (भू-प्रबंध) भोपाल।
- (08) लेखा अधिकारी (ऑडिट), कार्यालय अ.प्र.मु.व.सं, (भू-प्रबंध) भोपाल।
- (09) समस्त शाखा परभारी, कार्यालय अ.प्र.मु.व.सं, (भू-प्रबंध) भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल उच्च प्राथमिकता के साथ तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- (10) गार्ड फाइल।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल